Claiming benefits: Hindi

कैंसर के बारे में हिंदी में अधिक जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है
www.macmillan.org.uk/translations

बेनिफिट्स का दावा करना

यह तथ्य पत्रिका बेनिफिट्स का दावा करने के बारे में है।

यह तथ्य पत्रिका इसके बारे में है:

- बेनिफिट्स क्या हैं?
- यदि आपके पास यूके का पासपोर्ट न हो तो
- विभिन्न बेनिफिट्स
    - स्टेच्युटरी सिक पे (SSP) / Statutory Sick Pay (SSP)
    - एम्प्लॉयमेन्ट एंड सपोर्ट अलावन्स (ESA) Employment and Support Allowance (ESA)
    - यूनिवर्सल क्रेडिट / Universal Credit
    - पर्सनल इन्डिपेन्डन्स पेमेन्ट (PIP) / Personal Independence Payment (PIP)
    - अटेन्डन्स अलावन्स (AA) / Attendance Allowance (AA)
    - अगर आपको कोई जानलेवा रोग हो
    - यदि आप कैंसर के किसी मरीज़ की देखभाल कर रहे हों
- आपकी भाषा में अधिक जानकारी
- अधिक जानकारी और सहायता

बेनिफिट्स क्या हैं?

बेनिफिट्स आर्थिक सहायता की आवश्यकता वाले लोगों को सरकार द्वारा किया जाने वाला भुगतान हैं। हो सकता है आप बेनिफिट्स क्लेम कर पाएं यदि:

- आप बीमार हों
- आप को कोई अक्षमता हो
- आपकी आय कम हो।

अलग-अलग कई तरह के बेनिफिट्स हैं। यह तथ्य पत्रिका सब से सामान्य बेनिफिट्स के बारे में समझाती है।

यदि आपके पास यूके का पासपोर्ट न हो तो

हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट्स न मिल सकें यदि:

- आप किसी अन्य देश से यूके में रहने या काम करने आए हों
- आप शरणार्थी हों।

इसके नियम जटिल हैं।

सलाह के लिए मैकमिलन को 0808 808 00 00 पर निःशुल्क कॉल करें। हम सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक काम करते हैं। आप कौन से बेनिफिट्स का दावा कर सकते हैं उसके बारे में हमारे 'वेल्फेयर राइट्स एडवाइज़र्स' आपको अधिक जानकारी दे पायेंगे।

आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में और आपकी जो भी चिंताएं हों, उनके बारे में भी हम से बात कर सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी न बोलते/बोलती हों, तो हमारे पास दुभाषिए हैं। यदि आपको सुनने में तकलीफ है, तो आप टैक्स्टफोन 0808 808 0121 अथवा टैक्स्ट रीले का उपयोग कर सकते हैं।

स्टेच्युटरी सिक पे (SSP) / Statutory Sick Pay (SSP)

हो सकता है आपको SSP मिल सके यदि:

- आप बीमार होने के कारण काम न कर पाएं।

आपका नियोक्ता यह 28 सप्ताहों तक की बीमारी के लिए चुकाएगा। यदि आप इसके पात्र हैं, तो वे आपको कम तनख्वाह नहीं दे सकते।

आपका स्टेच्युटरी सिक पे खतम होने से पहले, या अगर आप इसके पात्र नहीं होते हैं, तो आप जाँच सकते हैं कि आप एम्प्लॉयमेन्ट एंड सपोर्ट अलावन्स (ESA) प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। यह बेनिफिट ऐसे लोगों के लिए है जो कि इसलिए काम नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार या अक्षम हैं।

एम्प्लॉयमेन्ट एंड सपोर्ट अलावन्स (ESA) / Employment and Support Allowance (ESA)

हो सकता है आपको ESA मिल सके यदि आप काम करने की आयु के हों और:

- आप बीमारी या अक्षमता के कारण काम नहीं कर सकते
- आप बीमारी या अक्षमता के कारण बस थोड़ा ही काम कर सकते हैं।

ESA दो प्रकार होते हैं:

- **अंशदायी (कन्ट्रिब्यूटरी) ESA** / Contributory ESA – यदि आपने पर्याप्त 'नेशनल इंश्योरंस' अंशदान किये हों, तो आप यह प्राप्त कर सकते हैं।
- **आय संबंधी ESA** / Income-related ESA – यदि आपकी आय और बचत एक निर्धारित स्तर से कम हों तो आप यह प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप इन में से एक भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप एक 'क्रेडिट-ओन्ली' क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसे नहीं मिलते, पर आप जिस प्रत्येक सप्ताह में काम नहीं कर पाते उसके लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस 'क्रेडिट्स' नाम की चीज़ मिलती है। यह क्रेडिट्स आपको ESA अथवा भविष्य में अन्य बेनिफिट्स की माँग करने में सहायता करते हैं, जिसमें आपका स्टेट पेन्शन शामिल है।

ESA प्राप्त करने के 13 सप्ताह बाद

पहले 13 सप्ताहों के दौरान आपको 'कार्य क्षमता मूल्यांकन' कराना पड़ सकता है। यह इस बात का पता लगाने के लिए होता है कि आपकी बीमारी या अक्षमता आपको किस तरह से काम करने से रोकती है। आपको एक मीटिंग में उपस्थित रहने को कहा जा सकता है। यदि मूल्यांकन यह दिखाता है कि आप अब भी ESA के पात्र हैं, तो आपको सपोर्ट ग्रुप अथवा वर्क रिलेटेड एक्टिविटी ग्रुप में डाला जाएगा।

वर्क रिलेटेड एक्टिविटी ग्रुप (काम संबंधी गतिविधि समूह)

यदि आपकी काम करने की क्षमता सीमित है, पर तीव्र रूप से नहीं, तो आपको 'वर्क रिलेटेड एक्टिविटी ग्रुप' में डाला जाएगा। आपको काम के बारे में एक या अधिक इन्टरव्यूज़ में जाना होगा। आपको ESA का 'बेज़िक रेट' और एक अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होगा।

सपोर्ट ग्रुप (सहायता समूह)

यदि आपकी बीमारी या अक्षमता का आपकी काम करने की क्षमता पर तीव्र प्रभाव हो, तो आपको सपोर्ट ग्रुप में डाला जाएगा। इसका अर्थ है आपको काम के बारे में इंटरव्यूज़ में नहीं जाना होगा। आपको ESA का 'बेज़िक रेट' और दूसरे ग्रुप से थोड़ा बड़ा एक अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होगा।

'आय संबंधी ESA' का स्थान लेने वाला नया बेनिफिट

'आय संबंधी ESA' के स्थान पर अप्रैल 2013 से 16 से 64 वर्ष की आयु के लोगों के लिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में एक नया बेनिफिट, जिसे यूनिवर्सल क्रेडिट कहा जाता है, दिया जाता है। भविष्य में नोर्दर्न आयर्लैंड में यूनिवर्सल क्रेडिट का उपयोग करने की योजना है।

यूनिवर्सल क्रेडिट (UC) / Universal Credit

यूनिवर्सल क्रेडिट (UC) इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में उन लोगों के लिए है, जो:

- काम खोज रहे हों

  या

- जिनकी आय कम हो।

इसमें इन के लिए पैसे शामिल हैं:

- सामान्य जीवन
- बच्चों की देखभाल
- देखभाल के कर्तव्य
- काम करनेे में अक्षम होना
- निवास

अभी UC सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं है। इसे अब और 2017 के बीच इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करना शुरू किया जा रहा है। इसको नोर्दन आयर्लैंड में उपयोग करने की योजना भी है। नोर्दर्न आयर्लैंड के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए आप **nidirect.co.uk** पर जा सकते हैं।

यूनिवर्सल क्रेडिट छः अन्य बेनिफिट्स का स्थान ले रही है:

- आय संबंधी एम्प्लॉयमेन्ट एंड सपोर्ट अलावन्स (ESA) / income-related Employment and Support Allowance (ESA)
- इनकम सपोर्ट / Income Support
- हाउसिंग (निवास) बेनिफिट / Housing Benefit
- चाइल्ड टैक्स क्रेडिट / Child Tax Credit
- वर्किंग टैक्स क्रेडिट / Working Tax Credit
- आय संबंधी जॉबसीकर्स अलावन्स (नौकरी खोजने वालों के लिए भत्ता) / income-related Jobseekers's Allowance

यदि आप इन में से कोई भी बेनिफिट प्राप्त कर रहे हों, तो अभी और 2017 के बीच में आपके क्लेम यूनिवर्सल क्रेडिट में बदल सकते हैं। यह कब होगा यह आप कहाँ रहते हैं इस पर निर्भर करता है।

अधिकतर लोगों के लिए, अगर आपके हालात नहीं बदलते हैं, तो जब ऐसा होगा, तब आपको मिलने वाली रकम वही रहनी चाहिए।

पर्सनल इन्डिपेन्डन्स पेमेन्ट (PIP) / Personal Independence Payment (PIP)

पर्सनल इन्डिपेन्डन्स पेमेन्ट (PIP) इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में 16 से 64 वर्ष की आयु के ऐसे लोगों के लिए एक नया बेनिफिट है, जो:

- अपनी खुद की देखभाल करने में मुश्किल अनुभव करते हैं
- चलने फिरने में मुश्किल अनुभव करते हैं।

आपको यह समस्या कम से कम तीन महीनों से होनी चाहिए, और आपको यह कम से कम और नौ महीनों तक होने की संभावना होनी चाहिए।

PIP के दो हिस्से हैं:

- ‘डेइली लिविंग कम्पोनन्ट’ (रोजमर्रा के जीवन का घटक)
- ‘मोबिलिटी कम्पोनन्ट’ (चल-फिर सकने में सहायता का घटक)।

आपको एक या दोनों हिस्से मिल सकते हैं।

यदि आपको खाना पकाने, कपड़े - बर्तन धोने, नहाने और तैयार होने जैसे काम करने में मुश्किल होती हो, तो आपको 'डेइली लिविंग कम्पोनन्ट' मिल सकता है।

यदि आपको बाहर जाने या चलने-फिरने में मदद की आवश्यकता हो तो आपको 'मोबिलिटी कम्पोनन्ट' मिल सकता है।

अधिकतर लोगों का उनके क्लेम के हिस्से के रूप में किसी स्वास्थ्य पेशेवर के द्वारा आमने-सामने मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें यह देखा जाता है कि आप कितनी अच्छी तरह से चल-फिर सकते हैं और अपने रोज़ाना के काम कर सकते हैं।

PIP इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में डिसेबिलिटी लिविंग अलावन्स (DLA) नाम के बेनिफिट का स्थान ले रहा है। नोर्दर्न आयलैंड में आप अब भी DLA क्लेम कर सकते हैं, पर किसी समय PIP दाखिल करने की योजना है।

डिसेबिलिटी लिविंग अलावन्स (DLA) / Disability Living Allowance (DLA)

डिसेबिलिटी लिविंग अलावन्स नोर्दर्न आयर्लैंड में रहने वाले 64 वर्ष और उससे कम आयु के ऐसे लोगों के लिए है, जो:

- अपनी खुद की देखभाल करने में मुश्किल अनुभव करते हैं
- चलने फिरने में मुश्किल अनुभव करते हैं।

यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में रहनेवाले 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए भी है।

DLA और PIP मिलते जुलते हैं, पर उनमें कुछ फर्क हैं।

अगर आपकी आयु 16 वर्ष से 64 वर्ष के बीच है और आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स में रहते/रहती हैं, तो आप DLA के लिए नया क्लेम नहीं कर सकते। इस आयु के लोगों के लिए पर्सनल इन्डिपेन्डन्स पेयमेन्ट ने DLA का स्थान लिया है।

यदि आपको पहले से ही DLA मिल रहा है:

- यदि 8 अप्रैल 2013 को आपकी आयु 65 वर्ष से कम थी, तो अभी और 2018 के बीच कभी PIP के लिए आपका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा
- यदि 8 अप्रैल 2013 को आपकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक थी, तो आपको जब तक इसकी ज़रूरत हो, DLA मिलता रहेगा।

अटेन्डन्स अलावन्स (AA) / Attendance Allowance (AA)

अटेन्डन्स अलावन्स (AA) 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लोगों के लिए है जो:

- अपनी खुद की देखभाल करने में मुश्किल अनुभव करते हैं।

यदि आपको बिस्तर से उठने, स्नान करने या खुद कपड़े पहनने में मदद की आवश्यकता पड़ती हो तो आपको यह मिल सकता है। आपके पास केयरर हो यह ज़रूर नहीं है, लेकिन आपको कम से कम छः महीने तक देखभाल की आवश्यकता पड़ी होनी चाहिए।

बेनिफिट्स प्रणाली जटिल है। आपको कौनसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं यह जानने के लिए, मैकमिलन को 0808 808 00 00 पर कॉल करें और किसी 'वेल्फेयर राइट्स एडवाइज़र' (वेलफेयर अधिकार सलाहकार) से बात करें।

अगर आपको कोई जानलेवा रोग हो

यदि आपको कोई जानलेवा रोग हो, तो आप 'विशेष नियम' के तहत PIP, DLA अथवा AA के पात्र हो सकते हैं। इसका अर्थ है आपको समस्याएं कितने समय से हैं उसकी शर्तें पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्लेम पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी, और आपने जिस बेनिफिट के लिए आवेदन किया होगा आपको वह सब से ऊँची दर पर मिलेगा। 'विशेष नियम' के तहत क्लेम करने के लिए, आपको अपनी बीमारी की एक मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

यदि आप कैंसर के किसी मरीज़ की देखभाल कर रहे/रही हों

केयरर्स अलावन्स एक साप्ताहिक बेनिफिट है, जो कि लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने में मदद करता है, जिन्हें देखभाल की सख्त आवश्यकता हो। आपकी आयु 16 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और आप सप्ताह में कम से कम 35 घंटे किसी की देखभाल करते होने चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि आप जिसकी देखभाल कर रहे हों उस व्यक्ति के आप रिश्तेदार या उसके साथ रहने वाले हों। आप कोई भुगतान मिलने वाला कार्य कर रहे हों तब भी यह बेनिफिट क्लेम कर सकते/सकती हैं। यदि आप इस बेनिफिट के पात्र नहीं हैं, तो आप केयरर्स क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपको केयरर्स क्रेडिट मिलती है, तो आपको पैसे नहीं मिलते, पर यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप जीवन में बाद में स्टेट पेन्शन के लिए दावा कर सकते हैं। केयरर्स क्रेडिट की पात्रता के लिए आपको सप्ताह में 20 घंटे या अधिक समय के लिए एक या अधिक अक्षम लोगों की देखभाल करनी होगी।

आपकी भाषा में अधिक जानकारी

हमारे पास इन चीज़ों के बारे में भी आपकी भाषा में तथ्य पत्रिकाएं हैं:

- स्तन कैंसर
- बड़ी आँत का कैंसर
- फेफड़े का कैंसर
- प्रोस्टेट कैंसर
- कीमोथेरेपी
- रेडियोथेरेपी
- सर्जरी
- कैन्सर के उपचार के दुष्प्रभाव
- आप अपनी सहायता के लिए क्या कर सकते हैं
- जीवन का अंत

हम से अपनी भाषा में बात करें

आप मैकमिलन को 0808 808 00 00 पर निःशुल्क कॉल कर किसी दुभाषिए के माध्यम से हम से अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। आप हमसे अपनी चिंताओं और चिकित्सा संबधी सवालों के बारे में बात कर सकते हैं। हम आपको यह भी बता सकते हैं कि आपको कौनसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं।

हम सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक काम करते हैं। यदि आपको सुनने में तकलीफ है, तो आप टैक्स्टफोन 0808 808 0121 अथवा टैक्स्ट रीले का उपयोग कर सकते हैं।

अधिक जानकारी और सहायता

हमने यहाँ पर कुछ ही बेनिफिट्स के बारे में बात की है। हो सकता है ऐसे बेनिफिट्स हों, जिन्हें आप प्राप्त कर सकें। बेनिफिट्स प्रणाली समझना मुश्किल हो सकता है। किसी अनुभवी 'वेल्फेयर राइट्स एडवाइज़रr' से बात करना अच्छा होगा। आप मैकमिलन को **0808 808 00 00** पर फोन कर किसी एडवाइज़र से अपनी भाषा में बात कर सकते हैं।

आप बेनिफिट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर यहाँ पर उनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं **gov.uk** (इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड) और **nidirect.gov.uk** (नोर्दन आयलैंड)।

हमारी पुस्तिका **कैंसर की लागत में मदद (हेल्प विथ द कोस्ट ऑफ कैंसर)** में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में उपलब्ध बेनिफिट्स के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी है।

macmillan.org.uk/benefitsपर एक वीडियो भी है, जो उपयोगी हो सकता है।

संदर्भ और धन्यवाद

यह तथ्य पत्रिका हमारी पुस्तिका **कैंसर की लागत में मदद (हेल्प विथ द कोस्ट ऑफ कैंसर)**पर आधारित है/इसे मैकमिलन कैंसर सपोर्ट की कैंसर इन्फॉर्मेशन डेवलॉपमेन्ट टीम द्वारा लिखा, सुधारा और संपादित किया गया है। इसे नील साउथविक, मैकमिलन फाइनान्शियल सपोर्ट प्रोग्राम लीड द्वारा स्वीकृत किया गया है।

केरोलाइन पेइन, मैकमिलन सीनियर वेलफेर राइट्स एडवाइज़र; और कैंसर द्वारा प्रभावित लोग, जिन्होंने हमारी पुस्तिका **कैंसर की लागत में मदद (हेल्प विथ द कोस्ट ऑफ कैंसर)**की समीक्षा की उनके प्रति आभार के साथ।

हमने इस तथ्य पत्रिका को लिखने के लिए कई विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग किया है।

- डिसेबिलिटी राइट्स यूके की वेबसाइट **www.disabilityrightsuk.org** (उपयोग किया जून 2015)।
- Gov.uk की वेबसाइट **www.gov.uk** (उपयोग किया जून 2015)।
- एनआई डिरेक्ट (NI Direct) की वेबसाइट **www.nidirect.gov.uk** (उपयोग किया जून 2015)।

हम यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हैं, कि आपको प्रदान की गई जानकारी सटीक हो, लेकिन उसे चिकित्सकीय अनुसंधान की वर्तमान स्थिति का प्रतिबिंब नहीं माना जाना चाहिए, जो कि निरंतर बदलती रहती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैकमिलन इस जानकारी में या किसी भी तृतीय पक्ष, जैसे कि हम जिनके लिंक देते हैं वे वेबसाइट्स, की जानकारी में चूक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान अथवा क्षति के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं कर सकता।

© मैकमिलन कैंसर सपोर्ट (Macmillan Cancer Support) 2015। इंग्लैंड और वेल्स (261017), स्कॉटलैंड (SC039907) और आइल ऑफ मैन (604) में पंजीकृत धर्मार्थ संगठन। पंजीकृत कार्यालय 89 Albert Embankment, London, SE1 7UQ। MAC15139_Hindi

Health & care information you can trust
The Information Standard Certified Member

Content reviewed: 2015

Next planned review: 2016

WE ARE MACMILLAN. CANCER SUPPORT

Claiming benefits: English

Claiming benefits

This fact sheet is about claiming benefits.

This fact sheet talks about:

- What are benefits?
- If you don't have a UK passport
- Different benefits
    - Statutory Sick Pay (SSP)
    - Employment and Support Allowance (ESA)
    - Universal Credit
    - Personal Independence Payment (PIP)
    - Attendance Allowance (AA)
    - If you are terminally ill
    - If you look after someone with cancer
- More information in your language
- Other information and support

What are benefits?

Benefits are payments that the government give to people who need financial help. You may be able to claim benefits if you:

- are ill
- have a disability
- have a low income.

There are many different benefits. This fact sheet explains the most common ones.

If you don't have a UK passport

You may not be able to get some of the benefits if you:

- have come from another country to live or work in the UK
- are an asylum seeker or refugee.

The rules are complicated.

For advice, call Macmillan free on 0808 808 00 00. We are open Monday to Friday, 9am to 8pm. Our 'welfare rights advisers' can tell you more about which benefits you may be able to claim.

You can also talk to us about how you are feeling and any worries you have. We have interpreters if you don't speak English. If you have problems hearing, you can use textphone 0808 808 0121 or Text Relay.

Statutory Sick Pay (SSP)

You may be able to get SSP if:

- you cannot work because you are ill.

Your employer will pay this for up to 28 weeks of sickness. If you qualify for it, they cannot pay you less.

Before your Statutory Sick Pay ends, or if you do not qualify for it, check whether you can get Employment and Support Allowance (ESA). This benefit is for people who cannot work because they are ill or disabled.

Employment and Support Allowance (ESA)

You may be able to get ESA if you are working age and:

- you cannot work because of illness or disability
- you can only do a small amount of work because of illness or disability.

There are two different types of ESA:

- **Contributory ESA** – you can get this if you have paid enough 'national insurance'.
- **Income-related ESA** – you can get this if your income and savings are below a certain amount.

If you cannot get either of these, you can make a 'credit only' claim. This is where you do not get any money, but you get things called national insurance 'credits' for each week you cannot work. These credits can help you claim ESA or other benefits in the future, including your state pension.

After 13 weeks of ESA

During the first 13 weeks, you may need to have a 'work capability assessment'. This is to find out how your illness or disability stops you from working. You may need to attend a meeting. If the assessment shows that you can still get ESA, you will be put in one of two groups – the 'work-related activity group' or the 'support group'.

Work-related activity group

If your ability to work is limited, but **not severely**, you will be put in the 'work-related activity group'. You will have to go to one or more interviews about work. You will get the 'basic rate' of ESA and an extra payment.

Support group

If your illness or disability has a **severe** effect on your ability to work, you will be put in the support group. This means you won't have to go to interviews about work. You will get the 'basic rate' of ESA and a slightly bigger extra payment than the other group.

New benefit replacing 'income-related ESA'

Since April 2013, a new benefit called Universal Credit has been replacing 'income-related ESA' in England, Scotland and Wales for people aged 16 to 64. There are plans to start using Universal Credit in Northern Ireland in the future.

Universal Credit (UC)

Universal Credit (UC) is a new benefit for people in England, Scotland and Wales who:

- are looking for work

  or

- have a low income.

It includes money for:

- basic living
- looking after children
- caring duties
- being unable to work
- housing

UC is not available everywhere yet. It is starting to be used in different areas of England, Scotland and Wales, between now and 2017. There are also plans to start using it in Northern Ireland. You can go to **nidirect.gov.uk** for the latest information about Northern Ireland.

Universal Credit is replacing six other benefits:

- income-related Employment and Support Allowance (ESA)
- Income Support
- Housing Benefit
- Child Tax Credit
- Working Tax Credit
- income-related Jobseekers's Allowance

If you get any of these benefits, your claims may change to Universal Credit between now and 2017. The timing depends on where you live.

For most people, the amount of money you get will stay the same, if your circumstances don't change.

Personal Independence Payment (PIP)

Personal Independence Payment (PIP) is a new benefit for people aged 16 to 64 in England, Scotland or Wales who:

- find it hard to care for themselves
- find it hard to move around.

You must have had these problems for at least three months, and expect to have them for at least nine months more.

PIP has two parts:

- the ‘daily living component’
- the ‘mobility component’.

You may get one or both parts.

You may get the ‘daily living component’ if you find it hard to do things like prepare food, wash and dress.

You may get the ‘mobility component’ if you need help with going out or moving around.

Most people need to have a face-to-face assessment with a healthcare professional. This is to find out how well you can move around and do daily activities.

PIP replaces a benefit called Disability Living Allowance (DLA) in England, Scotland and Wales. In Northern Ireland, you can still claim DLA, but there are plans to introduce PIP at some point.

Disability Living Allowance (DLA)

Disability Living Allowance is for people in Northern Ireland aged 64 and under who:

- find it hard to care for themselves
- find it hard to move around.

It is also for people in England, Scotland and Wales who are under 16.

DLA is similar to PIP but there are some differences.

If you are aged 16 to 64 and live in England, Scotland or Wales, you cannot make a new claim for DLA. Personal Independence Payment has replaced DLA for people this age.

If you already get DLA:

- If you were under 65 on 8 April 2013, you will be reassessed for PIP at some time between now and 2018
- If you were 65 or over on 8 April 2013, you will continue to get DLA as long as you still need it.

Attendance Allowance (AA)

Attendance Allowance (AA) is for people aged 65 or over who:

- find it hard to care for themselves.

You may be able to get AA if you need help with things like getting out of bed, having a bath or dressing yourself. You don't need to have a carer, but you must have needed care for at least six months.

The benefits system is complicated. To find out which benefits you might be able to get, call Macmillan on 0808 808 00 00 and speak to a 'welfare rights adviser'.

If you are terminally ill

If you are terminally ill, you may be able to get PIP, DLA or AA under the 'special rules'. This means you don't need to meet the conditions about how long you've had problems for. Your claim will be dealt with quickly, and you will get the benefit you applied for at the highest rate. To claim under the 'special rules', you need a medical report about your condition.

If you look after someone with cancer

Carer's Allowance is a weekly benefit that helps people who look after someone with serious care needs. You need to be aged 16 or over and be caring for someone for at least 35 hours a week. You don't need to be related to the person or living with them. You can claim this benefit even if you do some paid work. If you don't qualify for this benefit, you can apply for Carer's Credit.

If you get Carer's Credit, you do not get any money, but it helps to make sure you can claim a State Pension later in life. To qualify for Carer's Credit, you must care for one or more disabled people for 20 hours or more a week.

More information in your language

We also have fact sheets in your language about:

- Breast cancer
- Large bowel cancer
- Lung cancer
- Prostate cancer
- Chemotherapy
- Radiotherapy
- Surgery
- Side effects of cancer treatment
- What you can do to help yourself
- End of life

Speak to us in your language
You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in your own language through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. We can also tell you which benefits you may be able to get.

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808 0121 or Text Relay.

Other information and support

We have only talked about some benefits here. There may be others you can get. The benefits system can be hard to understand. It's a good idea to talk to an experienced 'welfare rights adviser'. You can speak to one in your language by calling Macmillan on **0808 808 00 00**.

You can find out about benefits and apply for them online at **gov.uk** (England, Wales and Scotland) and **nidirect.gov.uk** (Northern Ireland).

Our booklet **Help with the cost of cancer** has more detailed information about benefits available in England, Scotland and Wales.

There is also a video at **macmillan.org.uk/benefits** that might be useful.

References and thanks

This fact sheet is based on our booklet **Help with the cost of cancer**. It has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support's Cancer Information Development team. It has been approved by Neal Southwick, Macmillan Financial Support Programme Lead.

With thanks to Caroline Payne, Team Leader, Welfare Rights Team, Macmillan Cancer Support, and the people affected by cancer who reviewed our booklet **Help with the cost of cancer**.

We have used information from many reliable sources to write this fact sheet, including:

- Disability Rights UK website. **www.disabilityrightsuk.org** (accessed June 2015).
- Gov.uk website. **www.gov.uk** (accessed June 2015).
- NI Direct website. **www.nidirect.gov.uk** (accessed June 2015).

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as information on websites to which we link.

© Macmillan Cancer Support 2015. Registered charity in England and Wales (261017), Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ. MAC15139

Health & care information you can trust
The Information Standard Certified Member

Content reviewed: 2015

Next planned review: 2016